



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.11.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में पंजीकृत अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 55,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-102/2025 धारा 137(2),76,65(2) बी0एन0एस0 व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद लकड़ा पुत्र क्लेमेंट लकड़ा निवासी सेतु शाह के मकान के किरायेदार न्यू कॉलोनी ककरमत्ता थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-29.11.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्या0 पॉक्सो जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विनोद लकड़ा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 137(2) बी0एन0एस0 में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।